

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रं.-1 ग्वालियर

तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1225 द्वारा माननीय श्री सुरेश राजे जी

प्रपत्र 'अ'

स. क्रं.	विधान सभा क्षेत्र का क्रं. व नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृति राशि व दिनांक	पी.ए.सी. राशि (रु. लाख में)	फर्म/ठेकेदार का नाम	निविदा दर	अनुबंधित लागत (रु. लाख में)	अनुबंध क्रं. व दिनांक	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	कार्य किस-किस अधिकारी की देखरेख में किया गया।	व्यय की गई राशि (लाख में)	गारंटी अवधि में मार्ग के जीर्णोद्धार हेतु फर्म की काटी गई राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19-डबरा	पिछोर तिराहा से चीनौर रोड़ तक सड़क का निर्माण कार्य	2.90	655.72 26.09.2016	587.70	मै. स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन	18.00 प्रतिशत कम एसओअर	481.91	05/2017-18 21.04.17	21.04.17	20.07.18	1. श्री आर.एस. भदौरिया, उपयंत्री, 2. श्री आर.के. शर्मा, सहायक यंत्री, 3. श्री बी.एस. गुर्जर, कार्यपालन यंत्री, 4. श्री आर.के. गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, 5. श्री ओमहरि शर्मा, कार्यपालन यंत्री	414.92	49.11

कार्य की स्थिति	परफॉरमेंस गारंटी की अवधि (दिनांक तक)	पुलियुम पाई एवं स्लेब कलवर्ट की संख्या	पुलियुम स्लेब कलवर्ट की लागत (लाख में)	मार्ग की वास्तविक पूर्ण लम्बाई कि.मी	मार्ग की शेष लम्बाई कि.मी	स्वीकृत अनुसार निर्माण की कुल लम्बाई मीटर (मार्ग के दोनों ओर मिलाकर)	नाली निर्माण की स्थिति					क्या कार्य गुणवत्ता विहीन होने से मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है एवं इस पर किस की देखरेख में पेंच वर्क किया गया एवं उस पर व्यय राशि (रु. लाख में)	रिमाक	
							पूर्ण की गई नाली की कुल लम्बाई मीटर में (मार्ग के दोनों ओर मिलाकर)	शेष नाली कार्य कब तक पूर्ण होगा (मार्ग के दोनों ओर)	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण	नाली पर किया गया व्यय (लाख में)			
16 31.07.2020	17 लागू नहीं।	18 30.07.2025	19 05 हयूम पाई एवं 01 स्लेब कलवर्ट	20 57.63	21 2.760	22 0 रिमाक के कॉलम क. 30 अनुसार	23 3640 मीटर	24 2623 मीटर	25 शेष लम्बाई 1017 मीटर में भूमि उपलब्ध न होने के कारण नाली का निर्माण कार्य नहीं कराया गया।	26 कार्य पूर्ण	27 लागू नहीं।	28 69.15	29 जी नहीं। सम्पूर्ण मार्ग अच्छी स्थिति में है। पेंच वर्क पर कोई भी राशि व्यय नहीं की गई।	30 मार्ग की कुल लम्बाई 2.90 कि.मी. स्वीकृत थी, जिसमें से लं. 100 मीटर में रेलवे की भूमि होने के कारण एवं लं. 40 मीटर में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कुल लम्बाई 140 मीटर लम्बाई को छोड़कर शेष लम्बाई 2.760 कि.मी. में कार्य पूर्ण कर दिया गया है। मार्ग की शेष लम्बाई में भूमि उपलब्ध न होने के कारण एवं माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण शेष 140 मीटर लम्बाई का कार्य नहीं कराया गया। निर्मित की जाने वाली मार्ग के दोनों ओर नाली की कुल लम्बाई 3640 मीटर में से 2623 मीटर लम्बाई में नाली का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। एवं शेष मार्ग के

कार्य की स्थिति	परफॉर्मेंस गारंटी की अवधि (दिनांक तक)	पुलियों की संख्या	पुलियों/स्लेब कलवर्ट की लागत (लाख में)	मार्ग की वास्तविक पूर्ण लम्बाई कि.मी	मार्ग की शेष लम्बाई कि. मी	नाली निर्माण की स्थिति					रिमार्क	
						स्वीकृत अनुसार निर्माण की कुल लम्बाई मीटर (मार्ग के दोनों ओर मिलाकर)	पूर्ण की गई नाली की कुल लम्बाई मीटर (मार्ग के दोनों ओर मिलाकर)	शेष नाली कार्य कब तक पूर्ण होगा (मार्ग के दोनों ओर)	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण		नाली पर किया गया व्यय (लाख में)
16	वास्तविक रूप से कार्य पूर्ण दिनांक											
17	अपूर्ण											
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												दोनों ओर लं. 1017 मीटर लम्बाई में नाली का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। उपरोक्त परिपेक्ष्य में ठेकेदार का अनुबंध परिशिष्ट 2 अनुसार अनुबंध की धारा 27.4 के अन्तर्गत परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.08.20 से बन्द किया गया है। अतः इस अनुबंध के अन्तर्गत कोई कार्य कराया जाना शेष नहीं है।


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 मध्य प्रदेश शासन
 लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय